भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-166
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

†166. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) बिहार की जनसंख्या के अनुपात में राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा और स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अनुमति देती है और सहायता प्रदान करती है;
(ग) यदि हां, तो कितने बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और पाठ्यक्रम-वार, देश-वार और संस्था-वार कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है;
(घ) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चले जाते हैं;
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे पलायन को रोकने और देश के भीतर ऐसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार का भारतीय और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और प्रस्तावित विश्वविद्यालय में किस शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-22 के अनुसार, एआईएसएचई 2021-22 में बिहार में 1,444 उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) पंजीकृत हैं, जिनमें 37 विश्वविद्यालय, 1,092 कॉलेज और 315 स्टैंडअलोन संस्थान शामिल हैं। 18-23 वर्ष के आयु वर्ग में बिहार की कुल अनुमानित जनसंख्या (जनगणना 2011 के आधार पर) 15,374,000 है।

(ख) और (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विदेश में उच्च शिक्षा हेतु भारतीय छात्रों को सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, मित्र देशों/संस्थाओं से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए ऐसे दाता देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी प्रसारित करता है। एमएसजेई और एमटीए से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति हेतु 125 छात्रों का चयन किया गया और छात्रवृत्ति के रूप में 88.56 करोड़ रुपये का व्यय किया गया; और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति 65 छात्रों को प्रदान की गई और छात्रवृत्ति के रूप में 7 करोड़ रुपये दिए गए।

(घ) आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई), गृह मंत्रालय उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले भारतीयों के आंकड़ों को आप्रवासन निकासी के समय उनके द्वारा की गई मौखिक घोषणा अथवा गंतव्य देश के लिए प्राप्त वीजा के प्रकार के आधार पर एकत्र करता है। बीओआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में प्रस्थान के दौरान "छात्र" के रूप में अपनी यात्रा के उद्देश्य का उल्लेख करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 8.95 लाख थी।

(ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गई है। इसमें आगे कहा गया है कि विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्चतर संस्थाओं (एफएचईआई) के परिसरों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए समर्थकारी विनियम जारी किए हैं। विनियम https://fhei.ugc.ac.in/Downloads/Regulations.pdf पर उपलब्ध हैं।

- यूजीसी ने भारतीय संस्थानों को एफएचईआई के साथ सहयोग करके युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए विनियम भी जारी किए हैं। विनियम https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4555806_UGC-Acad-Collab-Regulations.pdf पर देखे जा सकते हैं।

- विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में अपने परिसर स्थापित करने और वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु अनुमति दी गई है। विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार गिफ्ट सिटी में अपने शाखा परिसर स्थापित कर सकते हैं। (वेबलिंक: https://ifsca.gov.in/Document/Legal/ifsca-ibc-and-oec-regulations-202213102022113639.pdf).

• ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों नामतः डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित किया है। डीकिन विश्वविद्यालय का पहला बैच दिनांक 3 जुलाई, 2024 को शुरू हुआ। वोलोंगोंग विश्वविद्यालय के पहले बैच हेतु प्रवेश अभी जारी हैं।

• ब्रिटेन के साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय (यूओएस) को एक आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया, जिससे उन्हें भारत में अपना पहला परिसर स्थापित करने की अनुमति मिल गई। यूओएस को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थान दिया गया है।

(च) और (छ): बिहार के लिए प्रधानमंत्री पैकेज, 2015 में अन्य बातों के साथ-साथ भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल पर एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है।

राज्य सरकार को प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध करानी होगी। इस मंत्रालय ने वर्ष 2015 में बिहार राज्य सरकार से 500 एकड़ का उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। तथापि, राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार शुरुआत में 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी तथा भविष्य में विस्तार के लिए 300 एकड़ भूमि चिह्नित करेगी। इसके बाद, बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों का फरवरी 2022 में इस मंत्रालय की स्थल चयन समिति (एसएससी) द्वारा दौरा किया गया था। तथापि, ये स्थल उपयुक्त नहीं पाए गए क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित थे, प्राचीन स्थल से दूर थे तथा सुलभ पहुंच योग्य नहीं थे। वर्ष 2024 में, बिहार सरकार ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए कहलगांव के मलकपुर और अंतीचक में लगभग 205.05 एकड़ क्षेत्रफल की एक अन्य भूमि की पेशकश की, जिसे इस मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। विवरण के आधार पर, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है।

****